न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
43/2015 प्रा.पत्र/2015	20.04.2015	25.03.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री पवन कुंमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन निवासी विकास विहार कॉलोनी रोडवेज बस डिपो के पीछे टोंक मैसर्स कासलीवाल किराणा मर्चेन्ट सबीलशाह की चौकी टोंक।

2–मैसर्स कासलीवाल किराणा मर्चेन्ट सबीलशाह की चौकी टोंक।

3–श्री महावीर प्रसाद जैन मैसर्स गोयल एजेन्सीज बडा कुंआ मोतीबाग टोंक।

4–मैसर्स गोयल एजेन्सीज बडा कुंआ मोतीबाग रोड टोंक।

5–निदेशक श्री दीनदयाल जैन निवासी 7–8, गणेश कॉलोनी झोटवाडा, जयपुर मैसर्स रघुवर इण्डिया लिमिटेड द्वारा रोम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड एसपीएल नं0–01, रीको इण्डस्ट्रिल एरिया, हीरावाला, कानोता, जयपुंर।

6–निदेशक श्री दया किशन डाटा निवासी द्वारा रघुवर (इण्डिया) लिमिटेड, स्टेशन रोड, दुर्गापुरा, जयपुर मैसर्स रघुवर इण्डिया लिमिटेड द्वारा रोम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड एसपीएल नं0–01, रीको इण्डस्ट्रिल एरिया, हीरावाला, कानोता, जयपुंर।

7–निदेशक श्री निरंजन लाल डाटा निवासी द्वारा रघुवर (इण्डिया) लिमिटेड, स्टेशन रोड, दुर्गापुरा, जयपुर मैसर्स रघुवर इण्डिया लिमिटेड द्वारा रोम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड एसपीएल नं0–01, रीको इण्डस्ट्रिल एरिया, हीरावाला, कानोता, जयपुंर।

8–निदेशक श्री विजय डाटा निवासी द्वारा रघुवर (इण्डिया) लिमिटेड, स्टेशन रोड, दुर्गापुरा, जयपुर मैसर्स रघुवर इण्डिया लिमिटेड द्वारा रोम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड एसपीएल नं0–01, रीको इण्डस्ट्रिल एरिया, हीरावाला, कानोता, जयपुंर।

9–मैसर्स रघुवर इण्डिया लिमिटेड द्वारा रोम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड एसपीएल नं0–01, रीको इण्डस्ट्रिल एरिया, हीरावाला, कानोता, जयपुंर।

........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खुद सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री विक्रम जैन एवं रोमेन्द्र गूर्जर उप.।

:–<u>निर्णय</u>–: दिनांक 25/3/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.10.2014 को समय 02:30 पी.एम. पर मैसर्स कासलीवाल किराणा मर्चेन्ट सबीलशाह की चौकी टोंक पर पहुंचा। वहां पर विक्रेता एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री पवन कुंमार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स कासलीवाल किराणा मर्चेन्ट सबीलशाह की चौकी टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया जो 2014–15 के लिए वैद्य है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में कागज के 2 कार्टूनों में 1 लीटर पैक की 24 नग (बोतल) पैक्ड अवस्था में **सरसों तेल कच्ची घाणी (हनुमान ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 18 एवं पैकिंग की दिनांक अगस्त 2014 थी, पैक्ड अवस्था में रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान में कागज के 2 कार्टूनों में से ज्यों का त्यों **सरसों तेल कच्ची घाणी (हनुमान ब्राण्ड)** में से 1 लीटर तेल की 4 बोतले वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सरसों तेल कच्ची घाणी (हनुमान ब्राण्ड)** 1–1 लीटर की 4 बोतलों को 1–1 लीटर के 4 भाग तैयार कर, नमूना भागों के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–791 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–791 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता पवन कुंमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन मैसर्स कासलीवाल किराणा मर्चेन्ट सबीलशाह की चौकी टोंक जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स गोयल एजेन्सीज बडा कुंआ मोतीबाग रोड टोंक एवं मैसर्स गोयल एजेन्सीज ने बतौर वारन्टी मैसर्स रघुवर इण्डिया लिमिटेड द्वारा रोम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड एसपीएल नं0–01, रीको इण्डस्ट्रिल एरिया, हीरावाला, कानोता, जयपुंर का बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/14/21 दिनांक 03.11.2014 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस/441/एक्ट/2014/450 दिनांक 13.10.2014 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **सरसों तेल कच्ची घाणी (हनुमान ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011के अनुसार **अवमानक(Sub-Standard)**स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री विक्रम जैन एवं रोमेन्द्र गूर्जर उपस्थित हुए। अभिभाषक ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **सरसों तेल कच्ची घाणी (हनुमान ब्राण्ड)** का विकय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)**स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **सरसों तेल**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कच्ची घाणी (हनुमान ब्राण्ड) का नमूना जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/3/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0